257

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैम्प, सागर म0प्र0
= =

R. 2751 - III/14

राजाभैया ब्रा. वल्द लोचन ब्रा.

निवासी- ग्राम बछौन तह0 चंदला, जिला छतरपुर म0प्र0

-- पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक

॥ बनाम ॥

म0प्र0 शासन --रिस्पान्डेंट/ अनावेदक

पुनरीक्षण तरफ से आवेदक अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0 1959
- -

पुनरीक्षणकर्ता नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना करता है-

पुनरीक्षणकर्ता राजस्व प्रकरण क्रमांक- 48/ स्व.प्रे. निग./ 2012-13 पक्षकार म0प्र0 शासन विरूद्ध राजाभैया में न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर में पारित आदेश दिनांक 04 जुलाई 2014 से परिवेदित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

// पुनरीक्षण के तथ्य //

1:- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बछौन भूमि सर्वे नं. 1010/ 2 रकवा 2.03 वर्ष 1984-85 के पूर्व से पुनरीक्षणकर्ता का कब्जा चला आ रहा था पुनरीक्षणकर्ता ने दि. 17.4.89 को नायब तहसीलदार वृत- बछौन तह0 चंदला के समक्ष दखल रहित अधिनियम विशेष उपबंध भूमि अधिकारी 1984 के अंतर्गत बनाये गये नियम 3 के तहत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दि. 02.10.84 के पूर्व से उक्त भूमि पर स्वतंत्र रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है। भूमि कृषि प्रयोजन योग्य बनाई है। वह भूमिहीन हैं उसके नाम से कोई भी भूमि नहीं है, इसलिए उक्त भूमि उसे विस्थापित की जावे नायब तहसीलदार महोदय ने विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर आपत्तियां आमंत्रित की गई, विधिवत इश्तहार जारी किया गया। पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा प्रा

R-2751-अ/14 (छतरपुर)

25.10.16.	प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया परन्तु वे वर्ष 2014 से निरंतर अनुपस्थित रहे रहे हैं। अतः प्रकरण में आवेदक की प्रकरण में कोई रुचि नहीं है अतः प्रकरण खारिज करते हुए दाखिल किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।
	तहसीलदार